

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेख-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2018/2634-40


दिनांक: 26/11/18

—आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश—

कार्यालय के आदेश क्रमांक 2225 दिनांक 27.09.2018 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1.	श्री समकिशन AAO I मो० नं० 9329117577 दल सदस्य श्री सनी देवल महावर, कनिष्ठ लेखाकार जोन- जयपुर	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदीकुई दौसा	04/12 से 03/18	26.10.18 से 22.11.18 (14 कार्यदिवस)	26.10.18 से 29.11.18 (18 कार्यदिवस)


अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे।


 विदेशीय सलाहकार,
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेख-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2018/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
4. श्री समकिशन AAO I, दल सदस्य श्री सनी देवल महावर, कनिष्ठ लेखाकार जोन- जयपुर को यत्नार्थ प्रस्तुत है।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदीकुई दौसा।
6. प्रभाही सर्तार रुम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


 विदेशीय सलाहकार,
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
 राजस्थान, जयपुर